रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2000/वैशाख 14, 1922

No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2000/VAISAKHA 14, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 2 मई, 2000

विषय:—जापान तथा युएसए से एनिलीन के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच-प्रारंभिक जांच परिणाम।

सं. 21/1/98-डीजीएडी—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतदद्वारा 8 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. 21/1/98-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक जांच-परिणामों में निम्नलिखित स्पष्टीकरण देते हैं, अर्थात् :—

प्रारंभिक जांच परिणामों में पैरा क-1 के अन्तर्गत उप-पैरा-(vi) तथा उप-पैरा-(xi) में "एक्रीलिक फाइबर" शब्द के स्थान पर "एनिलीन" पढ़ा जाएगा।

रति विनय झा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd May, 2000

Subject :—Anti-dumping investigations concerning imports of Aniline from Japan and the USA-Preliminary Findings.

No. 21/1/98-DGAD.—The Designated Authority, having regard to the Customs Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, hereby makes the following clarification in the Preliminary Findings notified vide Notification No. 21/1/98-DGAD dated 8th March 2000, namely :—

In sub-para (vi) and sub-para (xi) under Para A.1 of the Preliminary Findings, the word "Aniline" shall be read instead of "Acrylic Fibre".

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

1285 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054